न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— मूलचंद, आर.ए.एस.

अपील संख्या 282/2016 (2016/00161) 223 आर टी ए

रामलाल पुत्र मिश्रीराम जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

—अपीलान्ट

बनाम

बद्रीप्रसाद पुत्र श्री जगमाल जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

——असल रेस्पोडेन्ट

सन्तासिंह उर्फ सुच्चासिंह पुत्र मिश्रीराम जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.12.2014 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी रावतसर प्रकरण संख्या 182/2013 बजनवानी बद्रीप्रसाद बनाम ओम प्रकाश आदि

उपस्थितः—

श्री हरीसिंह अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय दिनांक .18.07.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वादी ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष दावा उद्घोषणा एवं खाता विभाजन प्रस्तुत किया जिसमें वाद पत्र में वर्णितानुसार प्रश्नगत भूमि उद्घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा जो विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री से स्वीकार किया वादी बद्री प्रसाद के हिस्से में चक लालपुरा के पत्थर नं. 238/436 किला नं. 21 की 0.139 है, दक्षिण पासा, पत्थर नं. 237/436 किला नं. 25 की 0.002 है. पूर्वी पासा, प. नं. 237/437 किला नं. 5 की 0.035 है, किला नं. 6 की 0.034 है., 15 की 0.034 है., 16 की 0.034 है. 25 की 0.002 है. पूर्वी पासा की व पत्थर नं. 238/437 किला नं. 1 की 0.240 है., 10 की 0.240 है., 11 की 0.240 है., 20 की 0.240 है. पश्चिमी पासा एवं किला नं. 21 की 0.025 है. उत्तरी पश्चिमी पासा कुल 1.265 है. भूमि दिये जाने का आदेश दिया है शेष भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में दिये जाने का आदेश दिया है जिससे व्यथित होकर बतौर तृतीय पक्ष अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहराते हुए यह कथन किया कि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पो0 संख्या 2 की वाके रोही मौजा लालपुरा के प0 न0 238/437 मु0 न0 225 के किला न0 1/1, 10/2, 11/2, 20/1 व 21/1 की कुल 0.052 है0 पश्चिम की तरफ खातेदारी भूमि है तथा इसी प0 न0 व मु0 न0 के किला नम्बरो में स्थित शेष भूमि रेस्पो0 संख्या 1 की थी लेकिन उन्होंने अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये सहायक कलेक्टर में दावा उदघोषणा और खाता विभाजन का प्रस्तुत कर दावा में वर्णित भूमि में रेस्पोडेन्ट बद्री ने अपना 100 हिस्सा होना कथित किया एवं प0 न0 238/437 के किला न0 1,10,11,20,21 की

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इन किलो में पश्चिम की तरफ की अपनी भूमि होना दर्ज कर अपीलकृत आदेश व डिक्री प्राप्त कर लिया जो गलत है। इन्ही किला में अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 2 की भूमि है। उक्त किला नं0 1,10,11,20,21 में अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्यां 2 की प0 न0 238/437 में 0.0520 है0 भूमि है जो उनके द्वारा प0 न0 236/437 की लाईन पर मंजुरशुदा रास्ता से अपनी दूसरी कृषि भूमि जो प0 न0 236/437 व 236/438 में है, में आवागमन हेतू रास्ता के लिए प0 न0 238/437 किला न0 1,10,11,20,21 में लाईन के पास से इन किलो के पश्चिमी की तरफ से आवागमन करते है। जिस आधार पर अदालत मातहत ने जरिये पत्रावली संख्या 49/2014 आदेश दिनांक 31.08.2015 के अपने निर्णय से रास्ता भी स्वीकृत कर दिया है। जबकि अपीलाधीन निर्णय से बिना तजवीज तकसीम के केवल रेस्पो0 संख्या 1 के वादपत्र के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 की भूमि का ही विभाजन किया गया है अन्य पक्षकारान का खाता विभाजन नहीं किया गया जो विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट ने प्रश्नगत भूमि उक्त मु0 न0 225 में रास्ता के लिए खरीद की थी शेष भूमि बद्री ने खरीद कर ली, रास्ता हमेशा मुरब्बा लाईन पर ही होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मिथ्या कथन कर वाद डिक्री करवाया है जो किसी सूरत में डिक्री योग्य नहीं था। अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान पूर्व में नहीं था क्योंकि वह विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं था। अब जब दिनांक 31.08.2015 से स्वीकृत हुए रास्ते की पालना करवानी चाही तो पटवारी हल्का ने अपीलकृत आदेश की जानकारी दी इसलिए अपील भीतर मियाद स्वीकार किये जाने का कथन करते हुए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुती की स्वीकृति प्रदान करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमावे। अपने कथनो के समर्थन में 2014 आरआरडी पेज 406 व 652, 2008 आरबीजे पेज 407 व 693, 2016 आरआरडी पेज 2025, व 126, 2011 आरआरडी पेज 233, 2015 आरआरडी पेज 416 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 वादी का वाद जिस भूमि के उदघोषणा एवं खाता विभाजन का था उस भूमि में अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 2 सहकाश्तकार दर्ज नहीं है इसलिए अपीलान्ट बतौर तृतीय अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी ही नहीं है। जो सहकाश्तकार है उन्होंने न्यायालय के समक्ष कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है ना ही राज्य पक्ष द्वारा अपील पेश की है। अन्य कोटिनेंट को जब कोई आपत्ति नहीं है तो उनकी ओर से अपीलान्ट आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकता। मु0 न0 225 के किला न0 1,10,11,20,21 के पश्चिमी तरफ मु0 न0 227 में भी रेस्पो0 संख्या 1 की भूमि है एवं मु0 न0 225 के किला न0 1 में रेस्पो0 संख्या 1 का कोठा भी निर्मित है इसी न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तहसीलदार रावतसर से प्राप्त की है जो 02.07.2018 की है जिससे भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कथनो का समर्थन होता है। इसलिए अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने एवं अपीलाधीन निर्णय से अपीलान्ट किसी तरह से भी पीड़ित नहीं होने से अपील खारिज किये जाने का कथन किया।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया वं न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी एवं एवं उसके जवाब तथा प्रकरण के तथ्यों के आधार पर अपीलाण्ट का कथन है कि पं. नं. 238/437 के किला नं. 1,10, 11, 20, 21 की भूमि की चिपती भूमि होने के कारण अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है तथा अपील का निस्तारण गुणागवुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कियां एवं जाता है अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

7. अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायलाय में वाद में पक्षकार नहीं होने के कारण उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं हो स्वाभाविक था इसलिए उसका धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र भी स्वीकार किया जाता है।

Web Copy - Not Official

8. रेस्पो0 संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 88 एवं 53 आर टी एक्ट प्रस्तुत किया एवं अनुतोष चाहा कि चक लालपुरा के प0 न0 238/436 किला न0 21 की 0.139 है0 दक्षिणी पासा प0 न0 237/436 किला न0 25 की 0.002 है0 पूर्वी पासा प0न0 237/437 किला न0 5 की 0.035 है0 किला न0 6 की 0.034 है0 किला न0 15 की 0.034 है0 किला न0 16 की 0.034 है0 किला न0 25 की 0.002 है0 पूर्वी पासा की व प0 न0 238/437 किला न0 1 की .240 है0 किला न0 10 की .240 है0 किला न0 11 की .240 है0 किला न0 20 की .240 है0 पश्चिम पासा एवं किला न0 21 की 0.025 है0 उत्तरी–पश्चिमी पासा इस प्रकार कुल 1.265 है0 भूमि की उदघोषण कर खाता विभाजन किया जावे जो अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय से दावा डिक्री किया है। अपील प्रकरण में मुख्य रूप से यह विवाद उभर कर आया है कि प0 न0 238/437 मु0 न0 225 किला न0 1,10,11,20,21 में रेस्पो0 संख्या 1 की भूमि अपीलांट के कथनानुसार इन किलो के पूर्वी तरफ है जबकि अपीलान्ट की प0 न0 238/437 मु0 न0 225 के किला न0 1/1,10/2,11/2,20/1,21/1 की कुल 0.052 है0 भूमि उक्त मुरब्बा के उक्त किला न0 के पश्चिम तरफ है। इस प्रकार उभयपक्षों के मध्य भूमि की दिशा को लेकर विवाद है। इस संबंध में न्यायालय के समक्ष जो 02.07.2018 को तहसीलदार राजस्व रावतसर की रिपोर्ट मौका निरीक्षण कर प्राप्त हुई है उसमें मौके की स्थिति अनुसार प0 न0 238/437 मु0 न0 225 किला न0 1,10,11,20,21 में रास्ता उत्तर से दक्षिण उक्त किलों के रास्ता किला न0 1,10,11,20 में पूर्व की दिशा में चल रहा है व इसी प्रकार प0 न0 237/437 मु0 न0 226 किला न0 21 ता 25 में पूर्व से पश्चिम उक्त किलो में रास्ता उत्तर की दिशा में मौके पर चल रहा है इसके अलावा रेस्पो0 संख्या 1 प0 न0 237/437 के किला न0 5,6,15,16 व 25 में भी भूमि स्थित है जो मु0 न0 225 के किला न0 1,10,11,20,21 की चिपति हुई है। इसलिए मु0 न0 225 के किला न0 1,10,11,20,21 के पश्चिमी तरफ अपीलान्ट के रास्ते की भूमि होना सिद्ध नहीं होता है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद उदघोषणा एवं खाता विभाजन का जिस खाते की भूमि का था उस खाता में अपीलान्ट सहकाश्तकार दर्ज ही नहीं है। अपीलांट ने अपील में उसके द्वारा जो रास्ता स्वीकृत करवाये जाने का आदेश 31.08.2015 का प्रस्तुत किया है उस आदेश में भी अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 के संयुक्त खाता की कृषि भूमि मु0 न0 225 के किला न0 1/1,10/2,11/2,20/1,21/1 की कुल 0.052 है0 व मु0 न0 227 के किला न0 22/1,23/1,24/1 और 25/1 के कुल 0.051 है0 रास्ता स्वीकृत किये जाने का आदेश दिया गया है। जिसमें दिशा अंकित नहीं होने के कारण रेस्पो0 संख्या 1 ने पृथक से अपील संख्या 281/2018 प्रस्तुत कर रखी है जिसमें इस न्यायालय द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर रास्ता की दिशा को दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया गया है। इस कारण उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज योग्य बनती है एवं अपीलाधीन निर्णय यथावत कायम रखे जाने योग्य है।

9. अतः उक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2014 प्रकरण संख्या 182/2013 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/7/19

(मूलचंद) आर. ए. एस.
राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official